

SJU - Contact No. +91 9301915303

E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

आधिकार की न्याय ताल

आवश्यकता

**उद्देश्य एवं
नियुक्तियां**

मुख्य बिन्दु

पीडित संपर्क करें

अन्य बिन्दु

परिषद्

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

इस संघ का गठनसमूर्ण छत्तीसगढ़ में पीडितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिनसे छत्तीसगढ़ सरकार ने मान्यता प्राप्त है, जिसका संकेतक 5526 है, तथा समर्पक हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं तीसरा सदस्यजूर भी तत्काल मौजूदगए (अधिकृत, माननीय उपा-नायक), एवं सर्वोच्च न्यायाधीश के तदर्थों को भी मौजूदगी, भीमती ऐकत मौजूदगए, भीमती उन्नी तदर्थों एवं अन्य ने तत्काल को चयनक अधिकृत किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्वय अथवा मानविकता-हान सम्बन्धी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में तत्काल एवं प्रत्यक्ष में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आजीवन एवं समय व्यतीतों के तत्काल संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बन्धी कार्य एवं अन्य से लेकर वेतन, श्रम, परिसर, विधायक के उद्देश्य के लिए कार्य किया जायेगा।

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं सभी स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रकार-प्रकार करण, तथा मानविकता हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ तत्काल एवं अनिवार्यकर के माध्यम से मानविकता के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं सभी स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानविकता संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा अधिकृत नियुक्तियों की जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित निम्न एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फर्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

प्रार्थित एवं पीडित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीडित को न्याय दिलाने के लिए उचित तत्काल एवं संस्थाओं की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मुख्य रूप से इस संघ का कार्य है। पीडित व्यक्तियों को न्यायिक, नैतिक-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विभिन्न स्तर एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

संघ विशेष रूप से मानविकता दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीडित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीडित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीडित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

- संघ पर्यटन संरक्षण एवं पर्यटन सम्बन्धी पैना हेतु भी जागरूकता देने का प्रयत्न करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भीमती के अधिकृत, भीमती के अधिकृत, अधिकृतियों के अधिकृत, अनुसूचित जाति अधिकृतों के अधिकृतों के सम्बन्ध में विधिक एवं लोकप्रिय शैली के पर्यटन को इस संघ द्वारा प्रत्येक किया जायेगा तथा प्रत्येक पीडित को उसके कार्य एवं अधिकृतों के बारे में तत्काल किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ तत्काल से मान्यता प्राप्त है, अतः तत्काल एवं प्रत्यक्ष में विभिन्न पदों पर आजीवन कल पीडित की परेशानों को जताने से पूर्ववत् आ सकता है। इस हेतु संघ तत्काल एवं प्रत्यक्ष में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आजीवन व्यतीतों से मुक्तकर कर पीडित को न्याय दिलाने में तत्काल तत्काल को करेगा।
- संघ द्वारा संविधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बन्धित शिक्षा कार्यक्रम किए जायेगी, एवं समान उद्देश्यों वाली संगठन, राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय तथा नैतिकता संरक्षण के तहत निरंतर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुशलियों को हर स्तर के लिए व्यवस्थित कर जायेगा एवं करेगा। संघ देश के भूत पिछड़े पर काल विभिन्नियों के सम्बन्ध में कार्यक्रम भी आयोजित करेगा।

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीडित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU